

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

-: आदेश :-

क्रमांक- 421 / दो-12-2 / 1993

दमोह, दिनांक 01 अक्टूबर, 2024

इस स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को मूलभूत नियम 24 अनुसार एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि सारणी के कॉलम क्र. 5 अनुसार कॉलम क्र. 6 में दर्शित देय दिनांक से स्वीकृत की जाती है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वेतनमान	वर्तमान वेतन दिनांक	वेतन वृद्धि पश्चात वेतन एवं दिनांक	देय दिनांक	आगामी वेतनवृद्धि दिनांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्रीमती पूजा तिवारी, सहायक ग्रेड-3	19500 से 62000	<u>24000</u> 01.07.23	<u>24700</u> 01.07.24	23.08.24	01.07.25	दिनांक 20.05.2024 से दिनांक 22.08.2024 तक मातृत्व अवकाश पर होने से एवं दिनांक 23.08.2024 को कर्तव्य पर उपस्थित होने की दिनांक से देय
2	श्रीमती नेहा तिवारी, सहायक ग्रेड-3	19500 से 62000	<u>22600</u> 01.07.23	<u>23300</u> 01.07.24	06.08.24	01.07.25	दिनांक 18.05.2024 से दिनांक 05.08.2024 तक संतान पालन अवकाश पर होने से एवं दिनांक 06.08.2024 को कर्तव्य पर उपस्थित होने की दिनांक से देय
3	श्रीमती अंजली गुप्ता, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	25300 से 80500	<u>28500</u> 01.01.23	<u>29400</u> 01.01.24	26.06.24	01.01.25	दिनांक 02.03.2024 से 25.06.2024 तक संतान पालन अवकाश पर होने से एवं दिनांक 26.06.2024 को कर्तव्य पर उपस्थित होने की दिनांक से देय

sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र.- 2946 / दो-12-2 / 1993
प्रतिलिपि -

दमोह, दिनांक 01 अक्टूबर, 2024

1. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित शासकीय सेवक श्रीमती.....की ओर ईमेल से सूचनार्थ प्रेषित।
3. लेखापाल/वेतन देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)